न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 243 / 2019 (30 / 19)
दायर दिनांक :– 10.07.2019

अनवान

श्री काना पिता लाला मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर

प्रार्थी..........

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता कजोड मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
2. श्री मांगीलाल पिता कजोड मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
3. श्री हरजीलाल पिता कजोड मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति सोसर बेवा कजोड मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
5. श्री जयसिंह पिता चन्द्रा मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
6. श्री बाबूलाल पिता चन्द्रा मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
7. श्री कैलाश पिता चन्द्रा मीणा नि. तरनिया खेडा तह. जहाजपुर
8. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 09.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की कब्जे काश्त में ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी न. 85 / 12 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 85 / 5 रकबा 09.18 बीघा कृषि आराजी स्थित है। प्रार्थी के खेत व आम रास्ते के मध्य इस भूमि के उत्तरी पश्चिमी दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी सं. 84 रकबा 9.06 बीघा स्थित है। प्रार्थी अपने हक व हिस्से की खातेदारी में आने जाने का एक मात्र रास्ता आ. न. 84 में होकर कदमी समय से आते जाते रहे हैं जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शा रखा हैं। जिस पर होकर निरन्तर निर्बाध रूप से प्रार्थी अपने खेत पर स्वंय मवेशी एवं ट्रेक्टर सहित आती जाती रहती हैं इस रास्ते अलावा प्रार्थी के इस खेत मे आने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से कई बार अप्रार्थीगण अपनी भुमि पर डोल लगाकर रास्ते को बद कर देते है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने में परेशानी उठानी पडती है। इस कारण प्रार्थी के

खेत पर आने जाने के उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे हैं। मौके पर रास्ता 15 फिट चौडा है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृषि उपकरण ले जाने के लिये उक्त रास्ते में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। जिसे अप्रार्थीगण जिसने रास्ता को रोक दिया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थी की खातेदारी भुमि में आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आ.न. 84 में से 15 फीट चौडा रास्ता देने व उक्त रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी की आराजी न. 85/12, 85/5 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2019/999 दिनांक 20.08.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। एंव वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तह. जहाजपुर में आराजी न. 85/12 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 85/5 रकबा 09.18 बीघा में आने जाने के लिये 15 फिट चौडा रास्ता आ. न. 84 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 84 में से रकबा 0.03 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में जितनी भूमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.03 बीघा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तथा रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 19 / मु.न. 243 / 2019 दिनांक 09.12.2019

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 243 / 19 अनवान काना पिता लाला मीणा नि. रावतखेडा बनाम भंवरलाल पिता कजोड मीणा नि. तरनिया खेडा वगैरा में रास्ता तरमीम करने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर की आ.न. 85 / 12, 85 / 5 में आने जाने के लिये 15 फिट चौडा रास्ता आ. न. 84 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 84 में से रकबा 0.03 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में 0.03 बीघा भुमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.03 बीघा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/kalim/RASTA 251 LETTER ss

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: